बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02 / ब्रेडा–यो0–03 / 14– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ग्राउन्ड माउन्टेड सोलर पावर प्लांट, सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं रख–रखाव के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) की स्थापना हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 29.30 करोड़ (उनतीस करोड़ तीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 9.90 करोड़ (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये ब्रेडा को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–3662 दिनांक–19.09.2023 द्वारा में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ग्राउन्ड माउन्टेड सोलर पावर प्लांट, सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं रख–रखाव के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) की स्थापना हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 29.30 करोड़ (उनतीस करोड़ तीस लाख) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–908 दिनांक–12.03.2024 द्वारा 2.00 करोड़ रूपये, विभागीय राज्यादेश संख्या–2502 दिनांक–28.05.2025 द्वारा 6.36 करोड़ रूपये एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–4100 दिनांक–22.08.2025 द्वारा 7.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 15.36 करोड़ रूपये ब्रेडा को अबतक उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 10.6047658 करोड़ (दस करोड़ साठ लाख सैंतालीस हजार छः सौ अंठावन) रूपये ब्रेडा द्वारा मांग की गयी है, जिसमें से CFMS में उपलब्ध आंवटन के आधार पर 9.90 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ग्राउन्ड माउन्टेड सोलर पावर प्लांट, सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं रख–रखाव के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई (PMU) की स्थापना हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 29.30 करोड़ (उनतीस करोड़ तीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 9.90 करोड़ (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये ब्रेडा को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष 2810–नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–104–नवीन ऊर्जा के अनुसंधान, डीजाइन तथा विकास, उप शीर्ष–0101–अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, विपत्र कोड–10–2810001040101 विषय शीर्ष–31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर ब्रेडा के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0063–बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी, व्यय शीर्ष–L8448001200063 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200063 में जमा की जाएगी।

5. बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA023 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02/ब्रेडा–यो0–03/14 के पृष्ठ संख्या–198/टि0 पर दिनांक–05.09.2023 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र02/ब्रेडा–यो0–03/14 पृष्ठ संख्या–238/टि0 पर दिनांक–16.06.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/ब्रेडा–यो0–03/14– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/ब्रेडा–यो0–03/14– 3436 /पटना, दिनांक– 22.06.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.06.26
सरकार के संयुक्त सचिव।